

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

(पंचम सत्र)

लिखित उत्तर हेतु स्थगित प्रश्न

मंगलवार, 20 फरवरी, 2024/1, फाल्गुन, 1945 (शक्)

[मुख्य मंत्री - उप-मुख्य मंत्री - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री - कृषि मंत्री - उद्योग मंत्री - राजस्व मंत्री - शिक्षा मंत्री - ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री - लोक निर्माण मंत्री - नगर एवं ग्राम योजना मंत्री तथा आयुष मंत्री] .

कुल प्रश्न - 1

वाहन आबंटन

456 श्री केवल सिंह पठानिया (शाहपुर):

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) वर्तमान में हिमाचल सरकार के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को वाहन आबंटन के क्या नियम हैं;

(ख) अधिकारियों व कर्मचारियों को आबंटित वाहनों में से कितने वाहन प्रदेश सरकार के हैं तथा कितने वाहनों को आउटसोर्स आधार पर लिया गया है; और

(ग) नियमानुसार एक अधिकारी अथवा कर्मचारी को कितने वाहन आबंटित होते हैं तथा वर्तमान में कितने अधिकारी अथवा कर्मचारी ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक विभाग हैं एवं उन्हें हर विभाग द्वारा वाहन आबंटित किया गया है; अधिकारी/कर्मचारी के नाम व विभाग सहित ब्यौरा दें?

शिमला: 171004

यशपाल शर्मा,
सचिव।

